18.6.16 को पेश हो।

आदेश से रीडर

27.6.16

पत्रावली पेश हुई। मौके पर केस वादी उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य प्रस्तुत किये कि वादी की आराजी ग्राम बांदा में आराजी नम्बर 1528/1, 1528/3 रेकार्ड वादी के नाम पर है जिस का उपयोग उप भोग वादी करता चला

परन्तु प्रतिवादी स०1 उक्त आराजियात पर जबरन कब्जा करना चाहता है व लड़ाई झगड़ा करता है, जब की प्रतिवादी स०1 को ऐसा करने का कोई हक नही है अतः प्रतिवादी स०1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे की वादी कि उपरोक्त आराजियात पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे व न करावे।

पत्रावली व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा यह दस्तावेज पेश नही किये गये कि प्रतिवादी स०1 उस से लड़ाई झगड़ा करता है और अपने खाते की भूमि पर नही जाने देता है।

अतः वादी का वाद सिद्ध नही होने से वादपत्र खारीज किया जाता है।

आज दिनांक 27.6.16 को लोक कैम्प कांकरा पर खुले आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर नाज़र से दाखिल हो।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:–उम्मेद सिंह राजावत आर०ए०एस०

उनवान

1– श्री लादूलाल पिता कल्याणमल सुनार नि० कांदा
वादी
बनाम
1– शंकरलाल पिता मांगीलाल जाट निवासी कांदा
2 तहसीलदार भीलवाड़ा
प्रतिवादीगण

/

दावा बाबत 188 रा०का०अ०

मुकदमा नम्बर :– 152/12

निर्णय दिनांक :– 27.6.16

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से — की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.6.16 को कांदा (नाम पीठासीन अधिकारी **उम्मेद सिंह राजावत** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद सिद्ध नहीं होने से वाद पत्र खारिज किया जाता है।

/

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.6.16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा